Witness No **13** for **अभियोजन साक्षी** Deposition taken

the **03.12.2022** day of शनिवार Witness's apparent age **60 वर्ष**

States on affirmation **शपथ पूर्वक** my name is **महेश कुमार वर्मा**

S/of **श्री जोहन लाल वर्मा** occupation **प्रधान आरक्षक क0 417**

address **थाना तिल्दा–नेवरा, जिला रायपुर छ0ग0**

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. मै वर्ष 2018 से 2020 तक थाना खरोरा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था।

02. दिनांक 02.06.2019 को अज्ञात महिला उम्र लगभग 25–26 वर्ष का शव पोस्टमार्टम कराने हेतु थाना प्रभारी खरोरा के द्वारा सौंपे जाने पर शव परीक्षण फार्म सहित शव को लेकर मै मेकाहारा रायपुर में लेकर गया था। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी–8 के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। कर्तव्य प्रमाण पत्र एवं आमद प्रपी–19 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

03. शव परीक्षण पश्चात् शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर के द्वारा सीलबंद पैकेट में मृतिका का बिसरा, हड्डी एवं शरीर के अन्य अंग आदि मुझे दिया गया, जिसे मैने गवाहों के समक्ष विवेचक को जप्त करवाया था। जप्ती पत्रक प्रपी–20 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ए0 रहमान खान अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण

04. यह कहना सहीं है कि प्रपी–19 में दिनांक 01.06.2019 का उल्लेख है, मेरे मुख्य परीक्षण में जो मेरे द्वारा दिनांक 02.06.2019 का कथन किया गया है वह प्रपी–19 में उल्लेखित नहीं है। स्वतः कहा कि मै शव को खरोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दिनांक 01.06.2019 को लेकर गया था, जब उन्होंने वहां पी.एम. न कर मेकाहारा अस्पताल रायपुर ले जाने की सलाह दिया तब मै उसी दिन शाम के समय मेकाहारा अस्पताल लेकर आया था।

समय – 12:20 से 12:40 तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

श्रीकान्त श्रीवास
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

श्रीकान्त श्रीवास
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर ....